

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA
EXTRAORDINARY, PART 1, SECTION 1)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, Dated: 7th April, 2017

Policy for the Grant of Extension to the Production Sharing Contracts signed by Government of India awarding Pre-New Exploration Licensing Policy (Pre-NELP) Exploration Blocks.

No. O-19025/07/2014-ONG-D-V – The Government of India has approved a policy for granting extension to the Production Sharing Contracts (PSCs) signed by Government of India awarding Pre-New Exploration Licensing Policy (Pre-NELP) Exploration Blocks, to have a transparent and defined framework for granting extension. This will help the operators in planning their investments and operations in these fields which will help in optimal exploitation of the reserves. The salient features of the policy are as follows:-

1. Submission, Consideration and Approval of request for extension of Contract: The Contractor should submit the application duly approved by the Operating Committee for extension of Contract to Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoPNG) at least 2 years in advance of the expiry date of Contract, but not more than 6 years in advance, with a copy to Directorate General of Hydrocarbons (DGH). DGH will make a recommendation to MoPNG within 6 months of submission of application by the contractor. The Government will take a decision on the request for extension within 3 months of receipt of the proposal from DGH.

2. Fiscal Parameters for Extension:

2.1 Government Share: The Government share of Profit Petroleum during the extended period of contract shall be 10% higher for these blocks, than the share as calculated using the normal PSC provisions in any year during the extended period and hence will vary from year to year based on Investment Multiple (IM) /Post Tax Rate of Return (PTRR).

2.2 Royalty and Cess: During the extended period of Contract, the royalty and cess shall be payable at prevailing rates of nomination regime. Royalty and cess will be payable by all the contractors in proportion to their participating interest.

3. Prerequisites for Evaluation:

3.1 The proposal for extension can be considered for the following area having valid mining lease on the date of application, to be estimated as under:

- a) Fields already under Production
- b) The area of extension of PSC will be determined prior to the expiry of current PSC period. The Contract Area for extension will be determined in simple geometric shape based on the area covered by wells which are on production/injection as part of existing development plans and wells in new development plans submitted to Management Committee (MC) by the Contractor.
- c) Contractor may submit firm exploration work programme, if required, backed by a Bank Guarantee (BG) with specific time schedule for completion, for consideration of area which are not covered as above, but within the existing contract area which will be reviewed and finalized by DGH.

3.2 The application of extension of contract should fulfill the following conditions for consideration:

- a) Contractor should be able to demonstrate the availability of balance recoverable Reserves through a Third Party Reserves Audit report, to be submitted along with the application for extension. The definition of 'Reserves' for the purpose would be as per Petroleum Resource Management System (PRMS) guidelines.
- b) If the remaining 2P/P50 (2P/50 reserves implies proven plus probable reserves having a 50% certainty of being produced) recoverable reserves [Oil+ Oil Equivalent of Gas (O+OEG)] of any development area requested for extension are more than 5 MMBBL, the Third Party Reserves Audit needs to be done by a consultant of international repute as per the empanelled list maintained by DGH and as amended from time to time.
- c) Contractor would submit Field Development Plan/ Revised Field Development Plan (RFDP) for the proposed extension period at the time of submission of

application, for exploitation of the remaining reserves. This will include, but not be limited to, the following:

- (i) In place-Oil Initially in Place (OIIP) and Gas Initially in Place (GIIP)
- (ii) Balance 2P/P50 Recoverable Reserves
- (iii) Future Production Profile based on Reservoir Simulation Studies
- (iv) Proposed Work Programme and the estimated expenditure for the proposed extension period.

d) Such RFDP will be considered by the Management Committee (MC) and where thought fit, the MC will grant conditional approval for such development plan (including the period beyond the current PSC), subject to the condition of extension of PSC being granted by the Government under this policy. Such conditional approval by MC will not confer any right on the Contractor for extension in PSC period.

e) While submitting the application, the operator should submit proof of technical expertise.

f) Contractor while submitting the application should submit cumulative achievement of drilled wells and production (planned vs actual) since inception.

g) All the statutory dues and payment due to Government should have been cleared and the contractor should not be a defaulter to the Government on any account.

4 Criteria for Evaluation of Request:

4.1 The past performance of the contractor should be satisfactory for the request of extension to be favourably considered. The past performance would be judged on the basis of following criteria:

a) Contractor should have drilled at least 70% of the development wells of development plan approved by the Management Committee (MC) due for drilling as on date of application for last 10 years, or, must have achieved 70% of the

committed production as on date with reference to the earlier approved FDP or approved Work Programme for the last 10 years.

b) Contractor should have complied with the provisions of creation of Site Restoration Fund (SRF) and Site Restoration Plan (SRP) as per PSC. Wherever PSC does not provide for SRF and SRP, the Contractor should propose SRF and SRP as a part of extended Contract.

5. In the event of failure to comply with any of the above conditions, mentioned in clauses 3 and 4 above, Government shall have the option to invite fresh bids for further development of the area and to award the field to the most competitive bid. Government would also take into account pending arbitration while considering extension requests.

6. Seat of Arbitration:

The seat of arbitration will be at Delhi, India, for Production Sharing Contracts during extension period, notwithstanding any other provision in the existing PSC and will be subject to the Indian Arbitration & Conciliation Act, 1996, as amended from time to time.

7. Duration of Extension:

The extension for these PSCs would be considered for 10 years both for oil and gas fields or economic life of the Field, whichever is earlier. Subsequent extensions, if any, and the terms and conditions for the same would be worked out in due course.

8. Submission of Bank Guarantee:

Contractor shall provide Bank Guarantee (BG) equal to 10% of the total estimated annual expenditure in respect of the Work Programme approved by the Management Committee for being undertaken by the Contractor in the contract area. In case the contractor fails to complete the approved work program, grace period up to one year can be granted by MC to complete the activity, subject to the contractor extending the validity of the Bank Guarantee for the duration of grace period and not hampering the next year's work program. In addition, the Contractor will have to

submit another fresh Bank Guarantee for the forthcoming year against the annual work programme and budget of that year.

9. Other conditions:

- a) Government shall have the right to stipulate any further conditions specific to any particular Production Sharing Contract.
- b) Government shall reserve the right not to extend PSC without assigning any reason thereof.
- c) The condition stipulated in this policy will override the existing provision of the PSC.
- d) In case any contractor is not agreeable to this policy then the field will be considered for rebidding, on as is where is basis. Government would also have the right to assign the same to National Oil Companies (NOCs) i.e. ONGC or OIL.

10. The list of 10 Pre-NELP Exploration Blocks is placed at **Annexure**.

dy 07.04.2017
(Amar Nath)
Joint Secretary to the Government of India

LIST OF 10 PRE-NELP EXPLORATION BLOCKS WITH LOCATION

S.No.	Block Name	Block Location
1	RJ-ON-90/1	Rajasthan
2	Gulf-A (CB-OS/1)	Gujarat
3	CB-OS/2	Gujarat
4.	SGL (RJ-ON/6)	Rajasthan
5	Dirok AAP-ON-94/1	Assam
6	Tarapur (CB-ON/2)	Gujarat
7	Palej-Pramoda (CB-ON/7)	Gujarat
8	CB-ON/3	Gujarat
9	GK-ON/4	Gujarat
10	AA-ONJ/2	Assam-Mizoram-Manipur

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7, अप्रैल, 2017

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति पूर्व (एनईएलपीपूर्व) अन्वेषण ब्लॉकों को प्रदान करने में भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं का समय बढ़ाने के लिए नीति।

सं. ओ-19025/07/2014- ओएनजी-डी-V भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति पूर्व (एनईएलपीपूर्व) अन्वेषण ब्लॉकों को प्रदान करने के संबंध में समय बढ़ाने के लिए पारदर्शी और परिभाषित ढांचे हेतु भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) का समय बढ़ाने के लिए भारत सरकारने एक नीति अनुमोदित की है। इससे संविदाकारों को इन क्षेत्रों में अपने निवेश और प्रचालनों की योजना बनाने में मदद मिलेगी जिससे भंडारों का इष्टतम दोहन करने में सहायता मिलेगी। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. संविदाओं की अवधि बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना, उस पर विचार करना और अनुमोदन : संविदाकार अवधि समाप्त होने से कम से कम दो वर्ष पहले लेकिन छः वर्ष से पहले नहीं, संविदाकी अवधि बढ़ाने के लिए प्रचालन समिति द्वारा उपयुक्ततः अनुमोदित आवेदन-पत्र हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डीजीएच) को एक प्रति सहित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। डीजीएच संविदाकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से छः माह के भीतर एमओपीएंडएनजी को सिफारिश करेगा। डीजीएच से प्रस्ताव प्राप्त होने से तीन माह के भीतर सरकार अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में निर्णय लेगी।

2. अवधि बढ़ाए जाने के लिए राजकोषीय मानदंड:

2.1 सरकार का हिस्सा : संविदा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान लाभ पेट्रोलियम का सरकार का हिस्सा बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करते हुए यथा परिकलित हिस्से से 10% अधिक होगा और इसलिए, यह निवेश गुणक (आईएम) प्रतिफल की कर पश्चात दर (पीटीआरआर) के आधार पर अलग-अलग वर्ष में अलग-अलग होगा।

2.2 रायल्टी और उपकर: संविदा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान रायल्टी तथा उपकर नामांकन व्यवस्था की प्रचलित दरों पर देय होंगे। रायल्टी और उपकर सभी संविदाकारों द्वारा उनके भागीदारी हित के अनुपात में देय होंगे।

3 मूल्यांकन के लिए पूर्व अपेक्षाएं:

3.1 आवेदन की तारीख को वैध खनन पट्टा रखने वाले निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अवधि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है:

क. वह क्षेत्र जिसमें उत्पादन पहले ही शुरू हो गया है।

ख. पीएससी का विस्तार क्षेत्र चालू पीएससी अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारित किया जाएगा। विस्तार के लिए संविदागत क्षेत्र कूपों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के आधार पर साधारण ज्यामितीय आकार में निर्धारित किए जाएंगे। जो मौजूदा विकास योजनाओं के भाग के रूप में उत्पादन/इंजेक्शन कर रहे हैं और कूप संविदाकार द्वारा प्रबंधन समिति (एमसी) को प्रस्तुत नई विकास योजनाओं में होंगे।

ग. संविदाकार पुष्ट अन्वेषण कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, आवश्यक पाए जाने पर पूरा करने की विशिष्ट समय सारणी और बैंक गारंटी (बीजी) के साथ, ऐसे क्षेत्र पर विचार करने के लिए पूर्वोक्त अनुसार कवर नहीं है, किन्तु मौजूदा संविदा क्षेत्र के भीतर है, जिसकी समीक्षा और अंतिम निर्णय डीजीएच द्वारा लिया जाएगा।

3.2 संविदा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

क. संविदाकार के पास अवधि बढ़ाने के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली तृतीय पक्षकार भंडार जांच रिपोर्ट के जरिए शेष प्राप्य भंडारों की उपलब्धता दर्शाने की क्षमता होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 'भंडारों' की परिभाषा पेट्रोलियम संसाधन प्रबंधन प्रणाली (पीआरएमएस) दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

ख. अवधि बढ़ाए जाने के लिए किए गए अनुरोध के तहत किसी विकास क्षेत्र के 2पी/पी50 (2पी/50 भंडार उत्पादन किए जाने की 50% निश्चितता वाले सिद्ध और संभाव्य भंडार हैं) प्राप्य भंडार [तेल + गैस के समतुल्य तेल (ओ +ओईजी)] 5 एमएमबीएल से अधिक हैं तो डीजीएच द्वारा बनाए गए पैनेल की सूची और समय-समय पर यथा-संशोधित सूची के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक परामर्शदाता द्वारा तृतीय पक्षकार भंडार जांच किए जाने की जरूरत है।

ग. संविदाकार शेष भंडारों के दोहन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तावित बढ़ाई गई अवधि के लिए क्षेत्र विकास योजना/एक संशोधित क्षेत्र विकास योजना (आरएफडीपी) प्रस्तुत करेगा। इसमें निम्नलिखित, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, शामिल होंगे:

- (i) इन प्लेस -ऑयल इनिशियली इन प्लेस (ओआईआईपी) और गैस इनिशियली इन प्लेस (जीआईपीपी)।
- (ii) शेष 2पी/पी50 प्राप्य भंडार।
- (iii) रिजर्वार सिमुलेशन अध्ययन के आधार पर भावी उत्पाद रूपरेखा।
- (iv) प्रस्तावित बढ़ाई जाने वाली अवधि के लिए प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम और अनुमानित व्यय।

ऐसी आरएफडीपी पर प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा विचार किया जाएगा और इसे प्रस्तुत पाए जाने पर एमसी इस नीति के तहत सरकार द्वारा पीएससी की बढ़ाई जा रही है की शर्त पर ऐसी विकास योजना मौजूदा पीएससी की अवधि के बाद की अवधि सहित के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करेगी। एमसी द्वारा ऐसे सशर्त अनुमोदन से संविदाकार को क्षेत्र की अवधि बढ़ाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

इ. आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रचालक को तकनीकी विशेषज्ञता का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

च. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय संविदाकार को प्रारंभ से वेधित कूपों और उत्पादन (नियोजित और वास्तविक) की संचयी उपलब्धि प्रस्तुत करनी चाहिए।

छ. सरकार को देय सभी सांविधिक देयताएं और भुगतान पूरे होने चाहिए और संविदाकार सरकार के किसी खाते का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

4 अनुरोध के मूल्यांकन के लिए मानदंड:

4.1 अवधि विस्तार संबंधी अनुरोध पर अनुकूल विचार किए जाने के लिए संविदाकार का पिछला कार्यनिष्पादन संतोषजनक होना चाहिए। पिछले कार्यनिष्पादन की जांच निम्नलिखित मानदंड के आधार पर की जाएगी:

(क): संविदाकार ने पिछले 10 वर्षों के लिए आवेदन पत्र में नियत तारीख तक वेधन के लिए प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदित विकास योजना के विकास कूपों का कम से कम 70% का वेधन कर लिया हो, अथवा पूर्ववर्ती अनुमोदित एफडीपी के संदर्भ में नियत तारीख को वचनबद्ध उत्पादन का 70% लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लिया हो अथवा पिछले 10 वर्षों के लिए कार्य कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया हो।

(ख): संविदाकार ने पीएससी के अनुसार स्थल परिवर्तन निधि (एसआरएफ) और स्थल परिवर्तन योजना (एसआरपी) के सृजन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। जहां कहीं पीएससी एसआरएफ और एसआरपी का प्रावधान नहीं करती है वहां संविदाकार को बढ़ाई गई संविदा के एक भाग के रूप में एसआरएफ और एसआरपी का प्रस्ताव करना चाहिए।

5 उपर्युक्त खंड 3 और 4 में उल्लिखित उक्त शर्तों में से किसी एक का अनुपालन करने में असफल रहने की स्थिति में, सरकार के पास क्षेत्र का आगे विकास करने के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने और सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धी बोली के लिए क्षेत्र को प्रदान करने का विकल्प होगा। सरकार अवधि विस्तार संबंधी अनुरोधों पर विचार करते समय लंबित पंचाटों को भी ध्यान में रखेगी।

6 पंचाट सीट:

मौजूदा पीएससी में किसी अन्य प्रावधान के बावजूद बढ़ाई गई अवधि के दौरान उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के लिए पंचाट सीट दिल्ली में होगी और यह भारतीय पंचाट और समाधान अधिनियम, 1996, समय-समय पर यथा संशोधित की शर्त पर होगी।

7 विस्तार की अवधि:

पीएससीज को बढ़ाने के लिए, तेल और गैस दोनों क्षेत्रों के लिए 10 वर्षों अथवा क्षेत्र के एक जीवन, इनमें से जो भी पहले हो, पर विचार किया जाएगा। इसके पश्चात अवधि बढ़ाने, कोई हो, और इसके लिए शर्तों को नियत अवधि में तैयार किया जाएगा।

8 बैंक गारंटी प्रस्तुत करना:

संविदाकार द्वारा संविदा क्षेत्र में किए जाने के लिए, प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यकार्यक्रम के संबंध में संविदाकार कुल अनुमानित वार्षिक व्यय के 10% के समतुल्य बैंक गारंटी (बीजी) उपलब्ध कराएगा। यदि संविदाकार अनुमोदित कार्यकार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाता है तो छूट की अवधि के लिए संविदाकार की बैंक गारंटी को बढ़ाने की वैधता की शर्त पर कार्यकलाप को पूरा करने के लिए एमसी द्वारा 1 वर्ष की छूट की अवधि प्रदान की जा सकती है और यह अगले वर्ष के कार्य कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, संविदाकार को वार्षिक कार्य कार्यक्रम और उस वर्ष के बजट के लिए आगामी वर्ष हेतु अन्य नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

9 अन्य शर्तें:

(क) सरकार के पास किसी विशेष उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के लिए कोई अन्य विशेष शर्त निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(ख) सरकार के पास बिना कोई कारण बताए पीएससी की अवधि को नहीं बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ग) इस नीति में निर्धारित की गई शर्त पीएससी के मौजूदा प्रावधानों को समाप्त करेगी।

(घ) यदि कोई संविदाकार इस नीति से सहमत नहीं होता है तो क्षेत्र के लिए, जैसा है जहां है के आधार पर पुनः बोली लगाने पर विचार किया जाएगा। सरकार को राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) अर्थात् ओएनजीसी अथवा ओआईएल को इसे प्रदान करने का भी अधिकार होगा।

10. 10 एनईएलपी-पूर्व अन्वेषण ब्लॉकों की सूची अनुलग्नक में दी गई हैं।

अमर नाथ

(अमर नाथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

स्थल और 10 एनईएलपी-पूर्व अन्वेषण ब्लॉकों की सूची

क्रम संख्या	ब्लॉक के नाम	ब्लॉक स्थल
1	आरजे-ओएन-90/1	राजस्थान
2	गल्फ -ए (सीबी-ओएस/1)	गुजरात
3	सीबी-ओएस/2	गुजरात
4	एसजीएल (आरजे-ओएन/6)	राजस्थान
5	दिरोक एएपी -ओएन-94/1	असम
6	तारापुर (सीबी-ओएन/2)	गुजरात
7	पालेज-प्रामोडा (सीबी-ओएन/7)	गुजरात
8	सीबी-ओएन/3	गुजरात
9	जीके-ओएन/4	गुजरात
10	एए-ओएनजे/2	असम-मिजोरम-मणिपुर